: आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थीयों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में इन्द्राज योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज	
1	2	3	4	5	6	
ग्राम का नाम	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या
अड़वा	43	चुणाराम पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/8 जाति ब्राह्मण निवासी रलावास उप तहसील बडगू	579	1.4900	चुणाराम पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/8 जाति ब्राह्मण निवासी रलावास उप तहसील बडगू	579

शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

दिनांक :-

क्रमांक :- 864 / 12.11.21

प्रतिलिपि निम्नांकित :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. [illegible] को लिखकर लेख है कि उक्त नामान्तरण का [illegible] नहीं [illegible] सहमति सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर